तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
28/5/25	पत्रावली पेश हुयी। अधि. प्रतिवादी उपस्थित। वादी को न्यायालय समय में रुक-रुक कर तीन बार आवाज लगायी गयी लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय का समय समाप्त हो रहा है। अतः वाद सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली खारिज शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी

लोहावट।

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– /2021

प्रार्थीः– मूलसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह, जाति राजपूत, निवासी करनगर नगर, निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. जसवन्तसिंह पुत्र श्री तेजसिंह,
2. धनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह
3. सोहनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह
   जाति राजपूत निवासी करनगरनगर निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।
4. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

मान्यवरजी,

निवेदन प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार हैं:–

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा मौजा ग्राम करनगरनगर पटवार हल्का निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 188/2 रकबा 13 बीघा, अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 188/1 रकबा 38 बीघा ग्राम करनगरनगर पटवार हल्का निम्बों का तालाब, तहसील बापिणी में आई हुई है।

2. यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि एक ही चक के रूप में आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण की शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है।

3. यह है कि प्रार्थी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 188 के पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 188/2 व प्रार्थी की भूमि के पश्चिमी तरफ अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि खसरा नम्बर 188/1 की भूमि आई हुई है। अप्रार्थीगण ने अपनी भूमि की तरफ से प्रार्थी की भूमि में तरह–तरह की दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य की सीमाओं को खुर्द बुर्द करना शुरू कर दिया तो प्रार्थी द्वारा अपने हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि के सीमांकन बाबत् एक आवेदन तहसीलदार बापिणी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर आदेश क्रमांक 02/14.6.2021 पारित किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 02.08.2021 को हल्का पटवारी निम्बों का तालाब द्वारा मौके पर सीमांकन कार्य कर मौका फर्द तैयार की गई।

4. यह है कि उक्त सीमांकन कार्य करने के बाद प्रार्थी द्वारा अपनी हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि पर सीमा पर सीमांकन अनुसार पत्थर रोपकर तारबन्दी करनी शुरू की तो अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी कारण के मौके पर तारबन्दी करने से रोक दिया तथा एलानिया कहा कि जो पूर्व में सीमांकन किया गया है हम उसको नहीं मानते है तथा मौके पर पत्थर रोपकर तारबन्दी नहीं करने देंगे। तब प्रार्थी ने गांव मुख्यान को इकट्ठा कर अप्रार्थीगण को समझाने की कोशिश की परन्तु वो नहीं माने तथा मौके पर सीमा विवाद खड़ा कर दिया जिसका निस्तारण केवल मात्र पत्थरगढी आदेश से ही किया जाना सम्भव है। इसलिए प्रार्थी ने मजबूरन यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया है।

5. यह है कि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि ग्राम करनगरनगर पटवार हल्का निम्बों का तालाब तहसील बापिणी, ज़िला जोधपुर की सरहद में आई हुई है जिसके बाबत् पत्थर गढी आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा बाबत् सही सीमांकन करवाया जाकर उक्त भूमि की पत्थर गढ्ढी किये जाने का आदेश सादर फरमाया जावें, आवश्यकतानुसार मौके पर शान्ति व्यवस्था कायम रखने बाबत् पुलिस व्यवस्था दिलवाई ज़ावें।

जरिये अधिवक्ता

प्रार्थी